Date of Order or Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

09-12-17

प्रकरण नेशनल लोक अदालत दिनांक 09.12.17 में पेश। वादी अनुराग सहित अधिवक्ता श्री अशोक राणा। प्रतिवादी कैलाश सहित अधिवक्ता श्री सुबोध श्रीवास्तव।

अरापाया परिवास साहत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 सीपीसी उभयपक्षों द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 सीपीसी नय लोक अदालत डॉकेट हस्ताक्षर कर एवं छायाचित्र चस्पाकर प्रस्तुत किया गया। गदी की पहचान श्री अशोक राणा एवं प्रतिवादी की पहचान अधिवक्ता श्री सुबोध श्रीवास्तव द्वारा की गयी।

उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।

उभयपक्षों ने राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ—लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

प्रकरण में वादी द्वारा 25 हजार रूपये की राशि की वसूली हेतु धन वसूली वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें 25 हजार रूपये की राशि वादी को प्राप्त होना बताई गयी है। साथ ही अन्य कोई राशि का विवाद शेष न होना बताया गया है। राजीनामा विधिपूर्ण होकर पक्षकारों के हितों में स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किए जाने की अनुशंसा की गयी। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के उददेश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। राजीनामे के आधार पर विवाद समाप्त होता है। अतः प्रकरण राजीनामे के आधार पर समाप्त किया जाता है।

नेशनल लोक अदालत में प्रकरण निराकृत किए जाने से वादी के पक्ष में न्यायशुल्क वापसी का प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदाय की जावे। प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।

सदस्य सदस्य माद्रीन अधिका

व्यवहार न्यायधीश वर्ग-। बाहर जिला भिण्ड मण्डर Sortal She Sortal South from ker